[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii)]

Government of India

Ministry of Corporate Affairs

ORDER

New Delhi, the 30th June, 2016.

S.O. __ (E). – Whereas, the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act) received the assent of the President on 29th August, 2013 and section 1 thereof came into force on the same date;

And, whereas, the provisions contained in section 139, which provides for appointment of auditors has come into force on the 1st April, 2014;

And, whereas, sub-section (2) of section 139 of the said Act provides that no listed company and the prescribed class of companies shall appoint or re-appoint-

(a) an individual as auditor for more than one term of five consecutive years; and

(b) an audit firm as auditor for more than two terms of five consecutive years;

And, whereas, first proviso to sub-section (2) provides for period for which the individual auditor or audit firm who or which have completed term provided under such sub-section shall not be eligible for re-appointment as auditor in the same company;

And, whereas, the third proviso to sub-section (2) provides that every company, existing on or before the commencement of this Act which is required to comply with provisions of sub-section (2) shall comply with the requirements of such sub-section within three years from the date of commencement of the said Act;

And, whereas, as per provisions of sub-section (1) of section 139, the companies are required to appoint auditor at the annual general meeting who shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of sixth annual general meeting;

And, whereas, difficulties have arisen regarding compliance with the provisions of third proviso to sub-section (2) of section 139 in so far as they relate to the period within which companies would comply with provisions of sub-section (2) of section 139 of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 470 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following Order to remove the above said difficulties, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Companies (Removal of Difficulties) Third Order, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force from 1st April, 2014.

2. In the Companies Act, 2013, in section 139, in sub-section (2), for the third proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided also that every company, existing on or before the commencement of this Act which is required to comply with the provisions of this sub-section, shall comply with requirements of this sub-section within a period which shall not be later than the date of the first annual general meeting of the company held, within the period specified under sub-section (1) of section 96, after three years from the date of commencement of this Act.".

[F. No. 1/33/2013-CL-V]

30/06/2016

(Amardeep Singh Bhatia)

Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 2016

का.आ. (अ).- कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को 29 अगस्त, 2013 को राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त हुई थी और उसकी धारा 1 उसी तारीख से प्रवृत्त हुई;

और, उक्त अधिनियम की धारा 139 के उपबंध, जो लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए उपबंध हैं, 1 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त हुए;

और, उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि कोई सूचीबद्ध कंपनी या कंपनियों की विहित श्रेणी की कोई कंपनी -

(क) किसी व्यक्ति को पांच लगातार वर्षों की एक अवधि से अधिक के लिए लेखापरीक्षक नियुक्त या पुनर्नियुक्त नहीं करेगी; और

(ख) किसी लेखापरीक्षा फर्म को पांच लगातार वर्षों की दो अवधियों से अधिक के लिए लेखापरीक्षक नियुक्त या पुनर्नियुक्त नहीं करेगी;

और, उपधारा (2) के पहले परंतुक में उस अवधि का उपबंध है जिसके लिए यदि लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म ने उक्त उपधारा के अधीन उपबंधित अवधि पूरी कर ली है, तो वह उसी कंपनी में पुन: नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

और, उपधारा (2) के तीसरे परंतुक में उपबंध है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के समय या उससे पहले से विद्यमान प्रत्येक कंपनी, जिसके लिए उपधारा (2) का अनुपालन अपेक्षित है, उक्त अधिनियम के प्रारंभ के तीन वर्ष के भीतर ऐसी उपधारा की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी;

और, धारा 139 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, कंपनियों के लिए वार्षिक साधारण बैठक में लेखापरीक्षक की नियुक्ति करना अपेक्षित है, जो उक्त बैठक के समाप्त होने के समय से छठे वार्षिक साधारण बैठक की समाप्ति तक पद धारण करेगा;

और, धारा 139 की उपधारा (2) के तीसरे परंतुक के उपबंधों के अनुपालन के संबंध में कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं, जहां तक उनका संबंध उस अवधि से है जिसके भीतर कंपनियों द्वारा धारा 139 की उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करने से है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 470 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (कठिनाइयां दूर करना) तीसरा आदेश, 2016 है।

(2) यह आदेश 01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त हुआ माना जाएगा।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 की उपधारा (2) के तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् -

"परंतु यह भी कि इस अधिनियम के प्रारंभ के समय या उससे पहले विद्यमान प्रत्येक कंपनी जिसके लिए इस उपधारा के उपबंधों का अनुपालन अपेक्षित है, ऐसी अवधि के भीतर इस उपधारा की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी जो इस अधिनियम के प्रारंभ के तीन वर्ष पश्चात, धारा 96 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में, आयोजित कंपनी की पहली वार्षिक साधारण बैठक की तारीख के बाद नहीं होगी।"

[फा.सं. 1/33/2013-सीएल-V]

30/06/2016

(अमरदीप सिंह भाटिया)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार